

॥ कार्यालय उपमहानिरीक्षक कारागार (उदयपुर-कोटा-अजमेर रेंज) उदयपुर ॥

क्रमांक : स्था./उमनि/प्रहरी भर्ती-2024 / 2026-27 / 7541-7549

दिनांक:- 66/8/26

आदेश

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम- 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा- 2024 में टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप अग्रार्कित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र में अस्थाई रूप से प्रहरी पद पर नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 12.08.2026 को प्रातः 10.00 बजे उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/कारागृह/प्रशिक्षण संस्थान अजमेर पर आवश्यक रूप से उपस्थिति देंगे तथा ज्वार्डनिंग आदेश/निर्देशों में वर्णित शपथ-पत्र सलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 08 फोटो (जो कि मेडिकल के समय प्रस्तुत की गई थी), आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक व जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से साथ लेकर आएंगे।

s.no	mandal	Application No.	ROLLNO	Candidate NAME	father Name	GENDER	DOB	CAT	H_CAT	Selection Catagery	joining Place
1	3	202540032255	834696	CHAUPAL SINGH SISODIYA	VIKRAM SINGH SISODIYA	MALE	14-03-2000	EWS		GEN	Central jail Udaipur
2	4	202439313970	468918	BHERU SINGH RAUPUT	DEVI SINGH	MALE	22-09-2001	EWS		GEN	Central jail Udaipur
3	5	202540204110	650794	KAVISH PATIDAR	KACHRU	MALE	26-07-2003	OBC		GEN	Central jail Udaipur
4	6	202439345703	857803	PRADEEP KUMAR MALI	KANHAIYA LAL	MALE	30-05-2001	OBC		GEN	Central jail Udaipur
5	7	202540379962	457249	SHUBHAM VVAS	VIJENDRA VVAS	MALE	17-11-2000	GEN		GEN	Central jail Udaipur
6	8	202439393851	873951	GANPAT SINGH MOJAWAT	CHANDAN SINGH MOJAWAT	MALE	29-09-2001	GEN		GEN	Central jail Udaipur
7	9	202540909482	649048	AJAY PATIDAR	SHANTILAL PATIDAR	MALE	20-07-2000	OBC		GEN	Central jail Udaipur

(Signature)

8	10	202541205969	472176	DEVI LAL BHOI	GANGA RAM BHOI	MALE	12-03-2005	OBC		GEN	Central jail Udaipur
9	11	202540491227	838385	NITESH KUMAWAT	PREM CHAND KUMAWAT	MALE	15-06-2001	OBC		GEN	Central jail Udaipur
10	12	202539842414	648055	SAKSHI JOSHI	DINKER JOSHI	FEMALE	03-12-2000	GEN		GEN	jail training Institute Ajmer
11	13	202540013590	456970	GOURAV MEENA	MUKESH KUMAR MEENA	MALE	09-02-2002	ST		ST	Central jail Udaipur
12	14	202541235374	427656	MUSKAN BANU	USMAN KHAN PATHAN	FEMALE	20-04-1999	GEN		GEN	jail training Institute Ajmer
13	15	202540149810	885294	JITESH MEENA	SHANTI LAL	MALE	09-12-2000	ST		ST	Central jail Udaipur
14	16	202539914000	835606	DINESH CHANDRA MEENA	BABU LAL MEENA	MALE	13-05-2003	ST		GEN	Central jail Udaipur
15	17	202539932623	646245	JAYMAL KUMAR DANOR	BHAYCHAND DANOR	MALE	16-06-1995	ST		ST	Central jail Udaipur
16	18	202439542271	483329	NARENDRA SINGH GARASIYA	KANTI LAL GARASIYA	MALE	11-08-2002	ST		ST	Central jail Udaipur
17	19	202540972729	649426	VIJAY PANDWALA	KAMALI PANDWALA	MALE	12-11-1999	ST		ST	Central jail Ajmer
18	20	202540072486	630943	MAMTA KUMARI GAYARI	NARAYAN LAL GAYARI	FEMALE	10-05-2003	MBC		GEN	jail training Institute Ajmer
19	21	202439554097	153851	JAMES GARASIYA	HARISH PETER GARASIYA	MALE	13-10-2001	ST		GEN	Central jail Ajmer
20	22	202439480560	647460	SUHANI PATIDAR	RAMCHANDRA PATIDAR	FEMALE	16-03-2002	OBC		GEN	jail training Institute Ajmer
21	23	202540215641	653760	JANAK SARPOTA	GAVRA SARPOTA	MALE	05-07-2004	ST		ST	Central jail Ajmer
22	25	202540825175	890790	SUSHIL KALASUVA	BHARAT SINGH KALASUVA	MALE	18-07-2004	ST		ST	Central jail Ajmer
23	27	202540289899	883636	ARJUN MEENA	CHATTRA MEENA	MALE	08-12-2005	ST		GEN	Central jail Ajmer
24	28	202541210110	870480	VINOD KUMAR MEENA	BHIM RAJ MEENA	MALE	08-01-1998	ST		ST	Central jail Ajmer

4

25	29	202439552753	650353	MANOHAR LAL DAMOR	KARULAL DAMOR	MALE	13-11-2006	ST		GEN	Central jail Ajmer
26	30	202540750034	472670	GOVIND MEENA	DEVI LAL MEENA	MALE	18-02-2003	ST		ST	Central jail Ajmer
27	31	202439327479	243315	VISHAL DENDOR	RAMESH CHANDRA DENDOR	MALE	02-03-2000	ST		ST	Central jail Ajmer
28	32	202439384613	242116	KISHAN KOTED	PRABHULAL KOTED	MALE	25-11-1999	ST		ST	Central jail Ajmer
29	33	202540931247	473026	JAY SINGH DAMOR	LAL SHANKER DAMOR	MALE	05-04-2002	ST		ST	Central jail Ajmer
30	34	202540845180	424433	ISHWAR LAL MEENA	BHANWAR LAL	MALE	14-12-1998	ST		ST	Central jail Ajmer
31	35	202439300017	869126	KISHAN LAL KHARADI	BHUTA RAM	MALE	15-03-2000	ST		ST	Central jail Ajmer
32	36	202540753983	880103	SHIV KUMAR MEENA	NATHU MEENA	MALE	01-08-1999	ST		ST	Central jail Ajmer
33	37	202539760257	423718	RAHUL KUMAR MEENA	RANLAL MEENA	MALE	09-06-1998	ST		ST	Central jail Ajmer
34	38	202541011039	884073	DINESH PARAGI	DHARI PARAGI	MALE	16-03-1997	ST		ST	Central jail Ajmer
35	39	202539787846	885631	SANJAY MAIDA	KANHAIVLAL MAIDA	MALE	25-03-2002	ST		ST	Central jail Ajmer
36	40	202539627413	420188	SHWETA MEENA	BABU LAL MEENA	FEMALE	13-05-1995	ST		GEN	jail training Institute Ajmer
37	41	202540361038	894444	SUNITA GAMAR	BABU LAL GAMAR	FEMALE	10-02-2004	ST		ST	jail training Institute Ajmer
38	42	202539596934	481120	JITENDRA BARIYA	PRABHULAL BARIYA	MALE	30-12-2004	ST		ST	Central jail Ajmer
39	44	202540795782	653714	ROAT RINKUBEN	NANJIBHAI	FEMALE	07-05-2001	ST		ST	jail training Institute Ajmer
40	45	202539679894	834862	NATHU LAL MEENA	BHANAJI MEENA	MALE	05-06-1995	ST		ST	Central jail Ajmer
41	46	202439372597	480857	ROSHNI MEENA	LAL SHANKAR MEENA	FEMALE	05-06-1999	ST		ST	jail training Institute Ajmer
42	47	202540281037	423496	NANDANI MEENA	SHAMBUHDAYAL	FEMALE	14-12-2002	ST		ST	jail training

✓

5. राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.4(34)वित्त/बीमा/2025 लूज-ग जयपुर, दिनांक 12.06.2026 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती नियमानुसार होगी।
6. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कैलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कैलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थायीकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थायीकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
9. कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-ग/95 पार्ट जयपुर, दिनांक 08.04.2003 एवं अधिसूचना क्रमांक F.7(1)DOP/A-II/95/Pt. Jaipur, Date 16-03-2023 के अनुसरण में विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 01.06.2002 को एवं उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या परिवीक्षा/प्रशिक्षण पूर्ण करने के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा।
11. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क-2/2023 दिनांक 11.05.2023 की पालना में राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की संप्रभुता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।



13. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
14. दिनांक 12.08.2026 को उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने का निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा, जिससे सूचित रहें।
15. अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/कारागृह/प्रशिक्षण संस्थान पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998, विज्ञप्ति में वर्णित घोषणाओं व शर्तों, राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अधधीन है।


(राकेश मोहन शर्मा)
उप महानिरीक्षक कारागार
उदयपुर-कोटा-अजमेर रेन्ज,
उदयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. श्रीमान् उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् महानिदेशक महोदय, कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।
4. रेन्ज अधीनस्थ समस्त कारागृह।

5. अधीक्षक/प्राचार्य/कमान्डेन्ट, केन्द्रीय कारागृह/उच्च सुरक्षा कारागृह उदयपुर/अजमेर/कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों से शपथ-पत्र/बन्ध-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र इत्यादि प्राप्त करें। यदि अभ्यर्थी की दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् संतानों की संख्या दो से अधिक है, तो उसे ड्यूटी पर नहीं लिया जाकर अविलम्ब सूचित करावें। उपस्थिति की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवावें।
6. श्री/सुश्री/श्रीमती (संबंधित कार्मिक) को ज्वार्डनिंग निर्देशों की छायाप्राप्ति प्रेषित कर लेख है कि (बंध-पत्र पचास रुपये के स्टाम्प पर) ज्वार्डनिंग आदेश/निर्देशों में वर्णित शपथ-पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल), जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्राप्ति, पेन कार्ड, दसवीं की अंकतालिका की प्रमाणित छायाप्राप्ति एवं मेडिकल के समय प्रस्तुत फोटो 08 प्रति में आवश्यक रूप से लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान पर दिनांक 12.08.2026 को आवश्यक रूप से देंगे। (सामान्य निर्देश एवं शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न है।)
7. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षक पत्रावली।
8. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उप महानिरीक्षक कारागार
उदयपुर-कोटा-अजमेर रेन्ज,
उदयपुर

प्रहरी भर्ती-2024 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में सामान्य निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में नियुक्ति स्थान पर निर्धारित तिथि दिनांक 12.08.2026 को उपस्थित होंगे।
2. उपस्थित होते समय निर्मांकित मूल दस्तावेज (यदि पूर्व में जमा नहीं करवाए गए हों) तो अपने साथ लावें। इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
 - आयु प्रमाण-पत्र(सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र)।
 - जाति प्रमाण-पत्र(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्गी)।
 - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र व अंकतालिका।
 - मूल निवास प्रमाण-पत्र।
 - यदि पूर्व में कहीं कार्यरत है तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र।
 - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
 - बन्ध पत्र (Bond) पचास रुपये के INDIAN-NON-JUDICIAL स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 - 08 पासपोर्ट साईज फोटो।
3. प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अग्रिम मैस फण्ड राशि एवं अन्य व्यय के लिए राशि एवं निजी उपयोग के वस्त्र एक खाकी सिली-सिलाई टैरीकोट की वर्दी, रोजमर्रा में काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि लेकर आए।
4. चयनित अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं के बैंक खाते की पासबुक लेकर आएंगे।
5. कार्यालय उपमहानिरीक्षक कारागार, उदयपुर-कोटा-अजमेर रेंज, उदयपुर के कन्ट्रोल रूम दूरभाष नम्बर 0294-2483020 है।